न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/476

1. बद्री प्रसाद यादव पुत्र श्री साधुराम, निवासी ग्राम भानीपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

– रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने मुकदमा संख्या 46/2017 निर्णय दिनांक 15.02.2017 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत् उनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम बिदामी देवी के विरूद्व पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री बंशीधर जाट, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 13.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 15.02.2017 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 18.04.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्व ग्राम भानीपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर के आराजी खसरा नम्बर 390 रकबा 13.07 है0 में से रकबा 0.15 है0, 443 रकबा 19.44 है0 में से रकबा 0.20 है0, 442 रकबा 5.74 है0 में से रकबा 0.18 है0, 411 रकबा 4.77 है0 में से रकबा 0.06 है0, 439 रकबा 1.55 है0 में से रकबा 0.01 है0, 414 रकबा 2.06 है0 में से रकबा 0.07 है0, 436 रकबा 1.00 है0 में से रकबा 0.06 है0, 537 रकबा 0.28 है0 में से रकबा 0.0150 है0, 415/682 रकबा 0.60 है0 में से रकबा 0.0250 है0, 435 रकबा 0.64 है० में से रकबा 0.02 है0, 416 रकबा 0.71 है0 में से रकबा 0.0250 है0, 434 रकबा 0.35 है0 में से रकबा 0.01 है0, 431 रकबा 0.50 है0 में से रकबा 0.02 है0, 422 रकबा 0.30 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 423 रकबा 0.37 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 424 रकबा 0.30 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 538 रकबा 0.35 है0 में से रकबा 0.02 है0, 429 रकबा 0.20 है0 में से रकबा 0.01 है0, 430 रकबा 4.32 है0 में से रकबा 0.02 है० भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु संशोधित प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को भिजवाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के अनुसार ग्राम भानीपुरा, पटवार मण्डल रायपुर जागीर के भूमि खसरा नम्बर 390 रकबा 13.07 है0 में से रकबा 0.15 है0, 443 रकबा 19.44

है0 में से रकबा 0.20 है0, 442 रकबा 5.74 है0 में से रकबा 0.18 है0, 411 रकबा 4.77 है0 में से रकबा 0.06 है0, 439 रकबा 1.55 है0 में से रकबा 0.01 है0, 414 रकबा 2.06 है0 में से रकबा 0.07 है0, 436 रकबा 1.00 है0 में से रकबा 0.06 है0, 537 रकबा 0.28 है0 में से रकबा 0.0150 है0, 415/682 रकबा 0.60 है0 में से रकबा 0.0250 है0, 435 रकबा 0.64 है० में से रकबा 0.02 है0, 416 रकबा 0.71 है0 में से रकबा 0.0250 है0, 434 रकबा 0.35 है0 में से रकबा 0.01 है0, 431 रकबा 0.50 है0 में से रकबा 0.02 है0, 422 रकबा 0.30 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 423 रकबा 0.37 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 424 रकबा 0.30 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 538 रकबा 0.35 है0 में से रकबा 0.02 है0, 429 रकबा 0.20 है0 में से रकबा 0.01 है0, 430 रकबा 4.32 है0 में से रकबा 0.02 है० भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं गै० मु० रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एवं संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त संशोधित प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगे। तद्नुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2017 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 15.02.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट बद्री प्रसाद यादव पुत्र श्री साधुराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 15.02.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के विपरीत पारित किया गया है इस कारण अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में न्यायालय द्वारा अहम कानूनी भूल की गई है जबकि परिपत्र अनुसार प्रकरण दर्ज होने के बाद पीडित पक्षकार को सुनवाई हेतु नोटिस दिया जाना आवश्यक है। हल्का पटवारी रायपुर जागीर द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार की गई है जबकि मौके पर अपीलान्ट के उक्त खसरा नम्बरान में कोई रास्ता चालू नही है तथा दर्ज खातेदार जिनको नोटिस जारी किये गये थे उनमें किशना पुत्र हरनाथ, सरदारा पुत्र हरनाथ की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी। जिन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। इस प्रकार मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उसके खसरा नम्बरान में से रास्ता निकालने बाबत किसी प्रकार का कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ। एक पक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। पूर्व में आदेश पारित करने से पूर्व मौके पर हल्का पटवारी नही गया। अन्य खातेदारों के बहकावे में आकर उन्हें लाभ पहुंचाने की नियत से गलत तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। इस कारण आदेश निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक खातेदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा खसरा नम्बर 413 में रास्ता नही होने के बाबत आपत्ति प्रस्तुत की है जबकि अन्य खसरा नम्बरान में भी मौके पर कोई रास्ता नही है ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। मौके पर कभी भी रास्ता प्रचलित नही रहा है कुछ व्यक्तियों ने अपने निजी स्वार्थ हेतु रास्ता दर्ज करवाया है जबकि इस प्रकार से परिपत्रानुसार रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रकरण में यह अपील एक ही सहखातेदार द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाधीन निर्णय में जो रास्ता कायम किया गया है वह रास्ता मौके पर न होकर दुसरी दिशा की ओर से है जिसकी रिपोर्ट द्ववेषता वश पटवारी हल्का द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की गई है इस कारण भी आदेश निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय को पूर्व में भी माननीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 42/2017 पूर्व में खसरा नम्बर 411 के बाबत प्रस्तुत की गई थी। जो दिनांक 24.07.2019 को स्वीकार की गई है जिससे भी यह सिद्ध होता है कि अपीलाधीन निर्णय बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही पारित किया गया है इस कारण भी निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये ही पारित किया है इस कारण निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी दिनांक 19.03.2023 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर आकर नाप जोख करने पर अपीलान्ट ने इसका कारण पूछा तो पटवारी द्वारा उक्त आदेश के बारे में जानकारी देने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 21.03.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपीलाधीन आदेश की सत्यप्रतिलिपी प्राप्त होने पर उक्त अपीलाधीन आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलान्टस को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही थी। अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 15.02.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर बमुकदमा संख्या 46/2017 उनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम बिदामी देवी को निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2017 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 19.03.2023 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार व राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में राजस्व ग्राम भानीपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर के आराजी खसरा नम्बर 390 रकबा 13.07 है0 में से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रकबा 0.15 है0, 443 रकबा 19.44 है0 में से रकबा 0.20 है0, 442 रकबा 5.74 है0 में से रकबा 0.18 है0, 411 रकबा 4.77 है0 में से रकबा 0.06 है0, 439 रकबा 1.55 है0 में से रकबा 0.01 है0, 414 रकबा 2.06 है0 में से रकबा 0.07 है0, 436 रकबा 1.00 है0 में से रकबा 0.06 है0, 537 रकबा 0.28 है0 में से रकबा 0.0150 है0, 415/682 रकबा 0.60 है0 में से रकबा 0.0250 है0, 435 रकबा 0.64 है० में से रकबा 0.02 है0, 416 रकबा 0.71 है0 में से रकबा 0.0250 है0, 434 रकबा 0.35 है0 में से रकबा 0.01 है0, 431 रकबा 0.50 है0 में से रकबा 0.02 है0, 422 रकबा 0.30 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 423 रकबा 0.37 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 424 रकबा 0.30 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 538 रकबा 0.35 है0 में से रकबा 0.02 है0, 429 रकबा 0.20 है0 में से रकबा 0.01 है0, 430 रकबा 4.32 है0 में से रकबा 0.02 है० भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु संशोधित प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा प्राप्त संशोधित प्रस्ताव के अनुसार ग्राम भानीपुरा, पटवार मण्डल रायपुर जागीर के भूमि खसरा नम्बर 390 रकबा 13.07 है0 में से रकबा 0.15 है0, 443 रकबा 19.44 है0 में से रकबा 0.20 है0, 442 रकबा 5.74 है0 में से रकबा 0.18 है0, 411 रकबा 4.77 है0 में से रकबा 0.06 है0, 439 रकबा 1.55 है0 में से रकबा 0.01 है0, 414 रकबा 2.06 है0 में से रकबा 0.07 है0, 436 रकबा 1.00 है0 में से रकबा 0.06 है0, 537 रकबा 0.28 है0 में से रकबा 0.0150 है0, 415/682 रकबा 0.60 है0 में से रकबा 0.0250 है0, 435 रकबा 0.64 है० में से रकबा 0.02 है0, 416 रकबा 0.71 है0 में से रकबा 0.0250 है0, 434 रकबा 0.35 है0 में से रकबा 0.01 है0, 431 रकबा 0.50 है0 में से रकबा 0.02 है0, 422 रकबा 0.30 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 423 रकबा 0.37 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 424 रकबा 0.30 है0 में से रकबा 0.0050 है0, 538 रकबा 0.35 है0 में से रकबा 0.02 है0, 429 रकबा 0.20 है0 में से रकबा 0.01 है0, 430 रकबा 4.32 है0 में से रकबा 0.02 है० भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं गै० मु० रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एवं संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त संशोधित प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगे। तद्नुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2017 पारित किये गये।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2017 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2017 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2017 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.02.2017 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर